राजस्व अपील संख्या : 114/2024
उनवान : रताराम बनाम योगेशसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 114/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/611

अपीलाण्ट्स :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स :–

रताराम पुत्र गुलाबराम जाति सुथार निवासी वेलार तहसील बाली जिला पाली राज.

1. योगेशसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी चामुण्डेरी राणावतान् तहसील बाली जिला पाली राज.
2. रमेश कुमार पुत्र भेराराम
3. जवानाराम पुत्र रामाराम
4. वजाराम पुत्र रामाराम
5. रतन पत्नी शेषाराम
6. लीला पुत्री भेराराम
7. सुशीला पुत्री भेराराम तमाम जातिगण जागिड़ ब्राह्मण निवासीगण वेलार, तहसील बाली, जिला पाली राज.
8. उपतहसीलदार नाना तहसील बाली जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा वेलार पटवार हल्का कोठार के नामान्तरकरण संख्या 660 स्वीकृति दिनांक 07.06.2018 के के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 07 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारी सिंह देवडा।

## –:निर्णय:–

दिनांक: 27.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा वेलार पटवार हल्का कोठार के नामान्तरकरण संख्या 660 स्वीकृति दिनांक 07.06.2018 के के विरुद्ध पेश की गई।** अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर क्रमशः 491, 495, 496, 513, 529, 659, 814, 815 रकबा क्रमशः 2.26 हैक्टेयर, 0.01 हैक्टेयर, 0.08 हैक्टेयर, 0.35 हैक्टेयर, 0.23 हैक्टेयर 0.50 हैक्टेयर, 1.27 हैक्टेयर, 0.16 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4.86 हैक्टेयर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय सात के सयुक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली



Scanned with OKEN Scanner

कब्जा खातेदारी की रही है। अपीलार्थी संख्या एक, रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय सात ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक योगेशसिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.02.2018 के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बरान् मे से खसरा नम्बर 659 क्षेत्रफल 0.50 हैक्टेयर की कृषि बेचान हस्तान्तरण कर उसी रोज कब्जा सुपुर्द कर दिया था।

यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक योगेशसिंह ने अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय दस के बाला बाला राजस्व कर्मचारियों से साठ गाठ कर स्वयं के खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 659 क्षेत्रफल 0.50 हैक्टेयर के अतिरिक्त अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय सात की अन्य खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों में भी 4/5 हिस्सा निहित होने का स्वयं के नाम का इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 660 स्वीकृति दिनांक 07.06.2018 के जरिये करवा दिया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 06.12.2024 पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेतु जमाबन्दी निकाले जाने पर हुई है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील बिना देरी के निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह कि नामान्तरकरण संख्या 660 स्वीकृति दिनांक 07.06.2018 की कार्यवाही अपीलार्थी के बाला बाला की गयी है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक को कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर क्रमश 491, 495, 496, 513, 529, 814, 815 बाबत कोई अधिकार पैदा नहीं होते है क्योंकि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज बेबुनियाद बिना किसी अधिकार, बिना क्षेत्राधिकार के उल्लेखित किये गये है।
2. यह कि ग्राम वेलार तहसील बाली की कृषि भूमि खसरा नम्बर 659 रकबा 0.50 हैक्टेयर बाबत स्वीकृत तथ्य है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या एक योगेशसंह की खरीदशुदा है एवं उक्त कृषि भूमि बाबत ही योगेशसिंह को खातेदारी के हक अधिकार प्राप्त होते है।
3. यह कि ग्राम वेलार तहसील बाली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 491, 495, 496, 513,529, 814, 815 बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या एक का कभी भी किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध नही रहा है, इसके बावजुद उक्त खसरा नम्बरों की भूमियों में रेस्पोडेण्ट संख्या एक के नाम का इन्द्राज कर भारी भूल की है। जिससे भी उक्त अपील काबिल स्वीकृत है।
4. यह है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 491, 495, 496, 513, 529, 814, 815 बाबत जिसका कोई भू–भाग अथवा कोई हिस्सा बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या एक के हक में किसी प्रकार का कोई पंजीबद्ध हस्तान्तरण विलेख एवं सक्षम न्यायालय की डिक्री आदेश पारित नहीं किया हुआ है।
5. यह है कि नामान्तरकरण संख्या 660 स्वीकृति दिनांक 07.06.2018 को निरस्त करवाये जाने हेतु उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने हेतु सहमत नही होने से उन्हें रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय दस के बतौर पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम वेलार तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 660 दिनांक 07.06.2018 स्वीकृत किये जाने बाबत पारित आदेश निरस्त करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 114/2024

उनवान : रताराम बनाम योगेशसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अप्रार्थीगण द्वारा मियाद के बिन्दु पर उक्त प्रार्थना पत्र के प्रतिकार में कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और न ही सुनवाई के किसी भी स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेज अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के प्रतिकूल कोई उपधारणा कायम की जा सके।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाकर नामान्तरकरण अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं आठ बावजूद सम्यक तामीली के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। ज़ैर अपील नामान्तरकरण का मूल रिकॉर्ड पूर्व में ही तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया एवं अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय सात द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्री योगेशसिंह के पक्ष में ज़रिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 14.02.2018 ग्राम वेलार के खसरा संख्या 659 क्षेत्रफल 0.50 हैक्टेयर क बेचान किया गया था, किन्तु उक्त योगेशसिंह द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय सात की अन्य खातेदारी भूमियाँ खसरा संख्या 491, 495, 496, 513, 529, 814, 815 अर्थात सम्पूर्ण खाता आलोच्य नामान्तरकरण के माध्यम से हस्तान्तरित करवा दिया, जो अधिकारिताविहिन एवं पूर्णतः अवैध है। अतः नामान्तरकरण संख्या 660 दिनांक 07.06.2018 को निरस्त कराये।

अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 07 वक़्त बहस अनुपस्थित रहे।

प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण की मूल प्रति का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या दो लगाय चार तथा तीन अन्य पूर्व खातेदारों द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या एके के पक्ष में दिनांक 14.02.2018 को एक पंजीबद्ध विक्रय विलेख निष्पादित करते हुए खसरा संख्या 659 रकबा 0.50 मौजा वेलार की कृषि भूमि का बेचान किया। अपील के साथ सलंग्न उक्त विक्रय विलेख की प्रति से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि खसरा संख्या 659 रकबा 0.50 हैक्टेयर की भूमि का ही बेचान अंकित है तथा अन्य कोई खसरा भूमि का अंकन नहीं है किन्तु, उक्त विक्रय विलेख के आधार पर जब हल्का पटवारी कोठार द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 660 दर्ज किया गया, तो उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय चार का सम्पूर्ण खाते कुल खसरा आठ कुल रकबा 4.86 हैक्टेयर में से नाम विलोपित कर दिया गया जबकि नामान्तरकरण में जिसे विक्रय दस्तावेज दिनांक 14.02.2018 का उल्लेख किया गया है, उस विक्रय दस्तावेज द्वारा मात्र एक ही खसरा संख्या 659 रकबा 0.50 हैक्टेयर का ही बेचान किया गया था। अर्थात् जिन खसरा भूमियों का हस्तान्तरण ही नहीं हुआ, ऐसी सात खसरों की कृषि भूमियों को क्रेता अर्थात रेस्पोडेण्ट संख्या एक योगेशसिंह के पक्ष में प्रविष्टि की गई।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 114 / 2024

उनवान : रताराम बनाम योगेशसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

यह भी आश्चर्यजनक है कि भू–अभिलेख निरीक्षक नाणा द्वारा उक्त दर्ज नामान्तरकरण प्रविष्टि की लापरवाहीपूर्ण तरीके से जांच करते हुए बेचान दस्तावेज अनुसार इन्द्राज सही होने का अंकन किया जबकि उक्त इन्द्राज बेचान दस्तावेज अनुसार नहीं था। उपतहसीलदार नाणा द्वारा भी विवेक का उपयोग किये बिना दिनांक 07.06.2018 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 660 को स्वीकृत कर दिया।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व कार्मिको द्वारा लापरवाहीपूर्ण ढंग से रेस्पोडेण्ट संख्या एक योगेशसिंह को ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 660 राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करते हुए उन कृषि भूमियों का भी खातेदार अंकित कर दिया, जो कृषि भूमियाँ उसके द्वारा क्रय ही नहीं की गई तथा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय चार का नाम राजस्व अभिलेख से खसरा संख्या 659 रकबा 0.50 हैक्टेयर के साथ साथ उन कृषि भूमियों से विलोपित कर दिया, जो दिनांक 14.02.2018 को उनके द्वारा बेचान की ही नहीं गई। ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक नामान्तरकरण इन्द्राज करने का न तो राजस्व कार्मिको को कोई अधिकार प्राप्त था और न ही ऐस अवैध इन्द्राज से रेस्पोडेण्ट योगेशसिंह को कोई अधिकार ही उत्पन्न होते है।

**अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अंकित तथ्य प्रमाणित पाए जाने से अपील स्वीकार की जाती है तथा उपतहसीलदार नाणा द्वारा मौजा वेलार के नामान्तरकरण संख्या 660 के सम्बन्ध में दिनांक 07.06.2018 को पारित स्वीकृति आदेश अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण उपतहसीलदार नाणा को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि माफिक ज़ैर अपील पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 14.02.2018 नामान्तरकरण की नयेसर कार्यवाही एक माह के भीतर करें।**

तहसीलदार बाली को भी इस निर्देश के साथ तहरीर जारी हो कि ख़ारिजशुदा नामान्तरकरण संख्या 660 मौजा वेलार से सम्बन्ध राजस्व कार्मिको, यथा तत्कालीन पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा उपतहसीलदार नाणा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रेषित कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)